

**दिनांक-14.10.2022**

प्रार्थी/अभियुक्तगण जयसिंह , रोतास उर्फ रोहताशएवं कोमल सिंह उर्फ डीलर की ओर से अपराध संख्या-251/2021 अन्तर्गत धारा-147,148,323,324,325,504,506 भा0दं0सं0 थाना सहावर जिला कासगंज के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त मामले में कतई झूठा फंसाया गया है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि अपराध अजमानतीय है। जमानत का विरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आत्मसमर्पण कर अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है।

### **आदेश**

प्रार्थी/अभियुक्तगण जयसिंह , रोतास उर्फ रोहताशएवं कोमल सिंह उर्फ डीलर की ओर से अपराध संख्या-251/2021 अन्तर्गत धारा-147,148,323,324,325,504,506 भा0दं0सं0 थाना सहावरजनपद कासगंज द्वारा 20,000-20,000/-रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र इसी धनराशि की दो-दो प्रत्येक दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
कासगंज।